उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

दीपक द० पु० राधेश्याम V/S सरकार

प्र० न० 181/23

9/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। रा० अधि० उप०
ने प्रस्तुत किया। प्रमाण पत्र जमाबंदी प्रकरण
का अवलोकन किया जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रकरण दुरुस्ती इन्द्राजात स्वीकार किये जाने योग्य
है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है निर्णय अलग से लिखाया जाकर शा०
मिसल किया गया। पत्रावली बाद फैसला दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :— 121/2023 पीठासीन अधिकारी
रज्जू दिनांक : 20—09—2023 **श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

दीपक दत्तक पुत्र राधेश्याम उम्र करीब 28 वर्ष जाति ब्रह्मण निवासी शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत</u>

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 9/3/24

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खाता सख्या 94 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316 रकबा 3.7050 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316/336 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा नं0 436/302 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा मे स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीपक के स्थान पर दीपचन्द अशुद्व अंकन दर्ज हो रहा है जो गलत है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम दीपक के स्थान पर दीपचन्द दर्ज हो रहा है जो गलत है जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दीपक है तथा प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका में नाम दीपक दर्ज है तथा आम बिरादरी व रिश्तेदारी में भी प्रार्थी का दीपक के नाम से ही जाना जाता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्व होने के कारण प्रार्थी को भूमि से मिलने वाले फायदो से महरूम रहना पड़ता है। अशुद्व अंकन के कारण प्रार्थी कई योजनाओ से लाभान्वित नही हो पाता है। विभागीय कार्यवाही मे प्रार्थी को कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए न्याय हित में प्रार्थी का नाम भूमि के राजस्व रिकार्ड मे शुद्वि किया जाना कानूनन जरूरी है। यह प्रार्थी का नाम शुद्व नही किया गया तो प्रार्थी को भविष्य मे मिलने वालो फायदो से महरूम भी रहना पडेगा।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार निर्झरना से दुरूस्त इन्द्राज बावत रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील निर्झरना ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित खाता सख्या 94 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316 रकबा 3.7050 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316/336 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा नं0 436/302 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा वाली मे प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दीपचन्द दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड), जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिकाव अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम दीपक है जो सही एवं दुरूस्त है, जिससे की प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर दीपक किया जाना उचित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है कि खाता सख्या 94 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316 रकबा 3.7050 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 में वर्णित आराजी खसरा नं0 316/336 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खसरा नं0 436/302 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हो रहे गलत अंकन दीपचन्द को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर दीपक राजस्व अभिलेख में अंकन करें। इस आशय की तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.)